जनसत्ता

नगर नई दिल्ली : बुधवार, २५ फरवरी, २००४

कैसे लहलहाए जैविक खेती

फिलिप कलैंट

आजकल राजधानी क्वालालंपुर में जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल के सदस्यों की बैठक चल रही है। यह बैठक पिछले सितंबर में जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रभाव में आने पर सदस्य राज्यों को अपनी पीठ थपथपाने का एक मौका देगी। २००० में प्रोटोकॉल में हुई बातचीत के दौरान तय न हो सके मुद्दों पर फैसला लेने का यह पहला अवसर है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है जिम्मेदारी और क्षतिपूर्ति या निराकरण का सवाल। बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी लेकिन सदस्य देश जिम्मेदारी और क्षतिपूर्ति के प्रावधान के संदर्भ में किसी सहमति तक नहीं पहुंच पाए। नतीजतन उन्होंने फैसला किया कि प्रोटोकॉल के प्रभाव में आने के तुरंत बाद इस मुद्दे को उठाया जाए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही स्तरों पर एक व्यापक आधार रखने वाली बहस शुरू करना बहुत जरूरी है।

जिम्मेदारी और क्षतिपूर्ति का सवाल जीन-रूपांतरित जीवों के नियमन और नियंत्रण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि जिम्मेदारी संबंधी नियम किसी रूपांतरण की स्वीकृति ही निर्धारित नहीं करेंगे। बल्कि वे उचित कदम न उठाने के परिणामों को ध्यान में रखते हुए सभी भागीदारों की क्षति रोकने के लिए कदम उठाने की दिशा में मार्गदर्शन का कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण काम करेंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर जिम्मेदारी संबंधी नियम विकसित करने की जरूरत है। सभी पक्षों के हितों को सुरक्षा देने की खातिर हर देश को अपने लिए एक स्पष्ट नियम व्यवस्था बनाना अपरिहार्य है। उन स्थितियों से निपटने के लिए जिनमें पर्यावरणीय नुकसान सीमाओं के आर-पार होता है या जिनमें जीन-रूपांतरित जीवों के संबंध में हुए अंतरराष्ट्रीय समझौतों के कारण किसी आयातक देश को नुकसान पहुंचता है, एक अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी विधान जरूरी है।

पर्यावरण में जीन-रूपांतरित जीवों का प्रवेश कराने के संदर्भ में जिम्मेदारी और क्षतिपूर्ति शीर्षक के तहत विभिन्न मुद्दों को संबोधित किए जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, सबसे पहला मुद्दा जंगली प्रजातियों में जीन के हस्तांतरण से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान का है। साथ ही इस आशंका को गंभीरता से लिया जाना जाहिर कि कहीं रूपांतरित [illegible]तियों के कारण अन्य वन्य रूप [illegible] या लुप्त न हो जाएं अथवा [illegible] व्यवस्था पर दूसरे हानिकारक [illegible]। नतीजतन फूल देने वाली वन्य वनस्पतियों का दीर्घकालीन विस्थापन या विलुप्ति। इस खतरे को वनस्पतिनाशकों से बेअसर रहने वाली जीन-रूपांतरित फसलों से संबंधित हाल ही में पूरे हुए ब्रिटिश मुकदमों में रेखांकित किया गया था।

दूसरा मुद्दा इसके सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से संबंधित है। जैसे जैविक खेती करने वाले किसानों की फसलें जीन-रूपांतरित बीजों से दूषित हो सकती हैं और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। उस स्थिति में जैविक खेती करने वाले किसानों को जैविक प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी फसल गैर-जैविक फसलों को मिलने वाले कम दामों में बेचनी पड़ेगी। जीन-रूपांतरित प्रजातियों द्वारा मौजूदा पौधों के विस्थापन की स्थिति में भी सामाजिक-आर्थिक सरोकार पैदा होते हैं। जहां विस्थापित पौधे मूल खाद्य फसलों के हैं, उनके लुप्त होने से बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह, दक्षिण में जीन-रूपांतरित प्रजातियों द्वारा पैदा किए गए कृषि उत्पाद जो उत्तर में आ सकते हैं, उस खास नकदी फसल के उत्पादन से जुड़े प्रत्येक पक्ष के हितों पर प्रत्यक्ष नकारात्मक असर डालेंगे।

तीसरा मुद्दा जीन-रूपांतरित प्रजातियों पर पेटेंट अधिकार लागू करने से जुड़े जिम्मेदारी के सवालों से संबंधित है। सामान्यतः किसी पेटेंट-खोज का प्रयोग [illegible] सकता है। जीन-रूपांतरित प्रजातियों के संबंध में समस्या यह है कि वे जिस पर्यावरण में विकसित की गई हैं, उससे परे के पर्यावरणों तक भी पहुंच सकती हैं। पेटेंट प्रजाति के बीज होने की स्थिति में, अगर ये बीज उन किसानों की जमीन तक पहुंच जाते हैं जो जीन-रूपांतरित फसलें नहीं उगाते और इसलिए पेटेंटधारी कंपनी को रॉयल्टी नहीं देते, तो पेटेंटधारी उन पर पेटेंट के उल्लंघन का दावा करने की सोच सकते हैं।

कनाडा में ऐसा हो चुका है। वहां मोन्सान्टो ने शिमीसर नामक किसान पर एक पेटेंट के उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था। फैसले और अपील (जिसकी अभी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होनी बाकी है) दोनों में स्पष्ट किया गया कि चाहे शिमीसर पेटेंट बीजों के होने की बात को जानते थे या नहीं, उन्हें मोन्सान्टो को अदायगी करनी ही होगी।

पर्यावरण में जीन-रूपांतरित प्रजातियों के संदर्भ में जिम्मेदारी से संबंधित तीन बहुत अलग-अलग मुद्दों के होने भर से इस बात का पर्याप्त अहसास हो जाता है कि एक अलग और ऐसे जिम्मेदारी और क्षतिपूर्ति विधान को विकसित करने की जरूरत है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की सभी विशिष्टताओं को ध्यान में रख सके। इस जरूरत की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि भोपाल हादसे जैसे मामलों में सामान्य घरेलू नियम प्रभावी नहीं हो पाए थे। दूसरे, अंतरराष्ट्रीय कानून में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनेक जिम्मेदारी विधान हैं, लेकिन पर्यावरणीय क्षति को लेकर कोई ऐसा सामान्य जिम्मेदारी विधान नहीं है जिसे जीन-रूपांतरित प्रजातियों के संदर्भ में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में यह जानना लाभदायी है कि स्विट्जरलैंड उन चंद देशों में से एक है जिन्होंने इस मसले पर मुकम्मल बहस की है और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में अनेक संशोधन करने की बजाय एक अलग जीन प्रौद्योगिकी अधिनियम और जीन-रूपांतरित प्रजातियों के लिए अलग जिम्मेदारी विधान अपनाने का फैसला किया। स्विस अधिनियम की कुछ विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। यह एक राजनीतिक समझौते का नतीजा है जिसके तहत स्विट्जरलैंड जीन-रूपांतरित प्रजातियों पर कोई [illegible] जैसा कि मजबूत औद्योगिक लॉबी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बदले [illegible] जीन-रूपांतरित प्रजातियों के प्रवेश पर सख्त शर्तों वाला कानूनी ढांचा लागू करेगा और एक मजबूत जिम्मेदारी विधान बनाएगा जैसा कि वहां के किसानों द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

साफ है कि अधिनियम ने एक समग्र संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदारी विधान का केंद्रीय महत्व है। दूसरे, इस अधिनियम में प्रस्तावित जिम्मेदारी विधान अन्य देशों के लिए एक दिलचस्प उदाहरण है। इसकी केंद्रीय विशिष्टता है जिम्मेदारी के एक सख्त विधान की स्थापना। इसके अलावा, इस विधान में यह नियम है कि कृषि या वनों में इन प्रजातियों की मौजूदगी से हुई क्षति के लिए केवल वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसने उस जीन-रूपांतरित प्रजाति के विपणन के लिए सरकार से अधिकार मांगा था। इसका अर्थ यह हुआ कि जीन-रूपांतरित प्रजाति का विपणन करने वाली कंपनी यह कह कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि क्षति के लिए जीन-रूपांतरित प्रजाति का बीज बोने वाला किसान जिम्मेदार है। इसकी एक और उल्लेखनीय विशिष्टता है कि इसमें क्षति उठाने वाले पक्ष द्वारा दावा दायर करने के लिए तीस वर्षों की समय सीमा रखी गई है।

हालांकि हर देश को अपनी प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं निर्धारित करनी चाहिए, फिर भी अन्य देशों के अनुभवों से अपनी स्थिति की तुलना करना अधिक लाभदायक होगा। स्विस अधिनियम अन्य देशों के लिए अंतिम आदर्श नहीं है, मगर जीन-रूपांतरित प्रजातियों के लिए जिम्मेदारी के नियमों पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बहसों में उसका योगदान उल्लेखनीय है। सबसे पहले, संसद में एक अलग अधिनियम और अलग जिम्मेदारी विधान के प्रारूप की जरूरत पर बहस हुई और स्पष्ट निर्णय लिया गया कि जीन-रूपांतरित प्रजातियों के विशिष्ट चरित्र को देखते हुए वास्तव में एक अलग विधान की आवश्यकता है। दूसरे, यों तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों के बारे में पहले से ही तुलनात्मक रूप से विकसित सामान्य जिम्मेदारी नियम मौजूद थे, फिर भी इस बात पर सहमति बनी कि जीन-रूपांतरित प्रजातियों द्वारा प्रस्तुत विशेष चुनौतियों को देखते हुए एक विशिष्ट और सख्त जिम्मेदारी विधान लागू किया जाना [illegible] नियंत्रण विधान अपनाने को एक व्यापक विधान के अंग के रूप में देखा गया है। इस व्यापक विधान में एक अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी विधान का क्षेत्र भी शामिल है।

भारत में अनेक वर्षों से अपेक्षाकृत रूप से विकसित जैव-सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा मौजूद है, लेकिन इसकी परीक्षा हाल ही के कुछ वर्षों के दौरान हुई। विशेषकर, मोन्सान्टो की बीटी कपास के व्यावसायीकरण के संदर्भ में। इस ढांचे में जीन-रूपांतरित प्रजातियों के संदर्भ में विशिष्ट जिम्मेदारी नियम शामिल नहीं हैं। अन्य देशों की तरह पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों को लेकर जिम्मेदारी का एक सामान्य ढांचा तो है, पर पर्यावरण में जीन-रूपांतरित प्रजातियों के प्रवेश की विशिष्ट समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए यह नाकाफी है। जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल के सभी सदस्य राज्यों की पहली बैठक इस मुद्दे पर सरकार के साथ-साथ सभी संबंधित पक्षों का ध्यान आकर्षित करने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी के अलावा क्षतिपूर्ति के विधान विकसित करने की जरूरत को रेखांकित करने का एक स्वर्णिम अवसर है।

गौरतलब है कि जीएम (आनुवंशिक संशोधित) फसलों को स्वीकार करना या न करना हर देश का निजी फैसला होना चाहिए। इस मसले पर इंग्लैंड के संबंधित मामलों के मंत्री का कहना है कि ऐसी फसलों के व्यावसायीकरण को मंजूरी देने के मामले में एक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया को मानक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मगर वे कृषि सब्सिडी और खासतौर से कृषि उत्पादन और निर्यात के लिए दी जा रही सब्सिडी को पूरी तरह खत्म किए जाने की वकालत करते हैं। खुद इंग्लैंड में जीएम फसलों पर हुई राष्ट्रीय बहस में अधिकतर लोगों द्वारा इन फसलों को नकारने के बारे में उनका मानना है कि इसे पूरी तरह नहीं नकारा गया है। लेकिन यह बात साफ है कि इस मुद्दे पर लोगों को अधिक जानकारी की जरूरत है।

भारत जैसे देश के संदर्भ में जहां खेती से जुड़ी अधिकांश जनता गांवों में रहती है, जीएम फसलों को लागू करने या इस बारे में उनकी राय जानने की प्रक्रिया बेहद सरल और प्रभावी होनी चाहिए। खेद की बात है कि अब तक यहां सरकारी स्तर पर ऐसी कोई कोशिशें नहीं हुई हैं। सच तो यह है कि सरकार इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को आम किसानों के बीच बहस का मुद्दा बना ही नहीं पा रही है। इसकी वजह सरकारी ढांचे में मौजूद लोगों में जानकारी का अभाव है या उपलब्ध जानकारी को न समझ पाने के कारण उस पर बहस करने से बचने का रवैया, कहना मुश्किल है।

मगर यह तय है कि अगर किसानों को बिना ठीक से समझाए और विश्वास में लिए जीएम फसलों को लागू कर दिया गया तो आने वाले दिनों में हमारे देश की कृषि व्यवस्था चरमरा जाएगी जिसका परिणाम देश की आर्थिक, सामाजिक समृद्धि को झेलना होगा। अगर यह जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा पा रही है तो इस मुद्दे पर सक्रिय गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों और जैविक कृषि का प्रयोग कर रहे किसानों के अतिरिक्त विषय के विशेषज्ञों को गोष्ठियां आदि करके किसानों को उनके खेतों पर मंडरा रहे खतरों से आगाह करना चाहिए; किसानों से सीधा संपर्क किया जाना सबसे कारगर कदम होगा।